

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 558]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2020 — कार्तिक 7, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

अधिसूचना
सं. 69/2020 — राज्य कर

क्रमांक एफ 10-77/2020/वाक/पांच(106).— आयुक्त, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017का 7) की धारा 44 की उपधारा (1) के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम के नियम 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 41/2020-राज्य राज्य कर क्रमांक एफ-10-56/2020/वाक/पांच(71) दिनांक 8 मई, 2020 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 235 तारीख 18 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, "30 सितम्बर 2020" अंको और शब्दों के स्थान पर "31 अक्टूबर, 2020" अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 30 सितम्बर, 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 10-77/2020/वाक/पांच(106).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-77/2020/वाक/पांच(106), दिनांक 13-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 13th October 2020

NOTIFICATION
No. 69/2020 – State Tax

No. F 10-77/2020/CT/V(106).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), read with rule 80 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the Notification No. 41/2020-State Tax, No. F-10-56/2020/CT/V(71), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 8th May, 2020, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 235, dated the 18th May, 2020, namely:-

In the said notification, for the figures, letters and words “30th September, 2020”, the figures, letters and words “31st October, 2020” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come in to force on 30th September 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANINDER KAUR DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

सं. 70/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-77/2020/वाक/पांच(107).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 13/2020-राज्य कर क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(37) दिनांक 31 मार्च, 2020 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र में (असाधारण) क्रमांक 178 तारीख 31 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में,-

- (i) “किसी वित्तीय वर्ष” शब्दों के स्थान पर “2017-18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) “रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की” शब्दों के पश्चात् “या निर्यात के लिए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

2. यह अधिसूचना 30 सितम्बर, 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 10-77/2020/वाक/पांच(107).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-77/2020/वाक/पांच(107), दिनांक 13-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 13th October 2020

NOTIFICATION
No. 70/2020 – Central Tax

No. F 10 - 77 /2020/CT/V(107).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Notification No. 13/2020-State Tax, No. F-10-35/2020/CT/V(37), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 31st March, 2020, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 178, dated the 31st March, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, -

(i) for the words “a financial year”, the words and figures “any preceding financial year from 2017-18 onwards” shall be substituted;

(ii) after the words “goods or services or both to a registered person”, the words “or for exports” shall be inserted.

2. This notification shall be deemed to have come in to force on 30th September 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANINDER KAUR DWIVEDI, Principal Secretary.